विशेष विवरण

[न्य]ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

[म]ु.न. 11/2016

उनवान

1. प्रभूदयाल उर्फ प्रभातराम पुत्र स्व0 काना, (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)
   1/1 बनवारी लाल पुत्र स्व0 प्रभूदयाल उर्फ प्रभातराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. घीसा पुत्र स्व0 काना,
3. रामकिशोर पुत्र स्व0 सेडूराम,
4. रामनिवास पुत्र स्व0 सेडूराम,
5. अशोक कुमार पुत्र स्व0 सेडूराम,
6. बाबू लाल पुत्र स्व0 सेडूराम,
7. कौशल्या देवी पत्नी स्व0 सेडूराम,
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण लाल पुत्र स्व० गोमाराम,
2. ग्यारसी लाल पुत्र स्व० गोमाराम,
3. चन्दाराम पुत्र स्व० गोमाराम,
4. छोटूराम पुत्र स्व0 गोमाराम,
5. गुल्ली देवी पत्नी स्व0 प्रभात,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. जग्गी पत्नी स्व0 मुरली,
7. नानूराम पुत्र स्व0 मुरली,
8. भीवाराम पुत्र स्व0 मुरली,
9. पप्पू पुत्र स्व0 मुरली,
10. सुन्दर पुत्री स्व0 मुरली,
11. बाबूडी पुत्री स्व0 मुरली,
12. बिरदी पुत्री स्व0 मुरली,
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण– श्री नरेश मीणा

अधिवक्ता अप्रार्थीगण– श्री श्रवण कुमार चौपड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 18.11.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 23/1245 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 आबादी रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.53 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 2.81 हैक्टेयर वाके

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

प्रार्थी द्वारा ग्राम भोपावास ख0न0 18, 19, 21 में से रास्ता चाहा गया है। इसकी खातेदारी मय नक्शा जमाबन्दी 2070–2073 के खाता संख्या 190 पर दर्ज रिकार्ड है।

रास्ता चाहे जाने वाले ख0न0 में लाल स्याही से नक्शा प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया रास्ता चाहा गया है। ख0न0 18 रकबा 0.02 है0 में से 22 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 88 वर्ग मीटर तथा ख0न0 19 रकबा 0.27 है0 में से 54 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 216 वर्ग मीटर एवं ख0न0 21 रकबा 0.49 है0 में से 72 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 288 वर्ग मीटर अर्थात रास्ते में सम्पूर्ण भूमि 592 वर्ग मीटर जावेगी जो नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। आवेदक के पास अन्य कोई रास्ता मौके पर नही लगता है। रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की गई है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मौके पर प्रार्थी/अप्रार्थी के भूमि मे आने जाने का रास्ता काफी वर्षो से भोपावास रोड से चालू हैं, जो खसरा नम्बर 336, 464, 465, 466, 380/1267, 380/1262, 380, 378/1239, 374/1238, 373/1237, 336, 336/1241 से होकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 339 में प्रवेश कर आगे जाता है। जिनकी खातेदारी भूमि हजारीराम मीणा पुत्र कानाराम मीणा, मुक्तिलाल, भोलूराम मीणा, रामेश्वरलाल पुत्रान् रणजीत मीणा, बाबूलाल आदि के खेतो से होकर गुजरता है। जो काफी वर्षो से सुव्यवस्थित रास्ता है, जो लगभग 18–20 मकानो मे व खेतो मे जाने का रास्ता हैं, जो इनका पारिवारीक रास्ता है।

अप्रार्थीगण के पास कुल 0.78 हैक्टेयर भूमि हैं, जिसमे कुल लगभग 12 खातेदार है। जो मकान वगै0 मे जुडकर खेती करने हेतु भी नही है। जिसको रास्तो मे दिया गया तो अप्रार्थीगण के परिवार के भूखे मरने की नोबत आ जावेगी। अप्रार्थीगण की भूमि भोपावास से लगभग 2 कि0मी0 दूरी पर जबकि 300 मीटरी पर दूसरा वैकल्पिक रास्ता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई गलत एवं मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत होने के कारण निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रा0 पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब व तहसीलदार चौमूं द्वारा पेश रिपॉर्ट, नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में मुख्य रूप से निम्न बाते देखे जाने योग्य है–

1. क्या चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु ही प्रयुक्त होना है ?
2. आवेदक/प्रार्थी की जोत तक पहुंचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं हैं ?
3. यदि एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो कौन सा मार्ग न्यूनतम दूरी का हैं ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:07 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के अवलोकन किया गया। प्रशासन गावों के संघ अभियान के दौरान [illegible] सरकार की मंशा के अनुरूप वादो/दावो के निस्तारण हेतु उभयपक्ष [illegible] राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 (पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटान) के अनुसार पिठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 18.11.2021 को स्वयं मौका निरिक्षण किया गया। जिसमें प्रार्थी के पास कोई वैकल्पीक रास्ता नही होना पाया गया एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 10.04.2017 के अनुसार चाहा गया रास्ता ही कम दुरी का होना पाया गया। उभयपक्षों की बहस पर विचार करने पर न्यायालय का यह अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कृषि कार्य

प्रयुक्त होना है। आवेदक का जोत तक पहुचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नही है। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट अनुसार कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता न्युन्तम दुरी का है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर काश्त करने हेतु रास्ता की भूमि का मुआवजा डीएलसी की दर का दो गुणा राशि अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार दिलाया जाकर तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 10.04.2017 के अनुसार संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित ख0न0 18 रकबा 0.02 है0 में से 22 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 88 वर्ग मीटर तथा ख0न0 19 रकबा 0.27 है0 में से 54 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 216 वर्ग मीटर एवं ख0न0 21 रकबा 0.49 है0 में से 72 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 288 वर्ग मीटर अर्थात रास्ते में सम्पूर्ण भूमि 592 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा मुताबिक रिपार्ट तहसीलदार चौमू दिनांक 10.04.2017 के अनुसार वाके ग्राम भोपावास, पटवार हल्का हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित ख0न0 18 रकबा 0.02 है0 में से 22 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 88 वर्ग मीटर तथा ख0न0 19 रकबा 0.27 है0 में से 54 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 216 वर्ग मीटर एवं ख0न0 21 रकबा 0.49 है0 में से 72 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल 288 वर्ग मीटर अर्थात रास्ते में सम्पूर्ण भूमि 592 वर्ग मीटर भूमि का मुआवजा वर्तमान DLC दर के दो गुनी दर से भूमि कीमत 546675/– रूपये शब्दों में पांच लाख छियालिस हजार छ सौ पिचेतर रूपये अप्रार्थीगणों को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार चौमू को उक्त राशि जमा कर अप्रार्थीगणों को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रस्तावित रास्ते में बोरिंग इत्यादि हो तो उसके लगवा उतनी ही क्षेत्रफल में रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। पालना के लिये तहसीलदार चौमू को निर्णय की प्रति भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:07 IST
Reason: SelfAttested